।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/124 तारीख रज्जू 17.09.2014 2014/539

01– श्रीमति सरूपी धर्मपत्नी पन्ना लाल जाति मीणा

02– श्रीमति सुशीला धर्मपत्नी स्व० श्री गिर्राज जाति मीणा

03– जयप्रकाश पुत्र स्व० श्री गिर्राज जाति मीणा

04– पूजा पुत्री स्व० श्री गिर्राज जाति मीणा

05– सुमन पुत्री स्व० श्री गिर्राज जाति मीणा

नबालिकान जर्ये सरपरस्त माता सुशीला खुद

06– छंगाराम पुत्र गणेश जाति मीणा

निवासीयान ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर

07– इमरती धर्मपत्नी जगराम पुत्री गणेश जाति मीणा निवासी ग्राम सेहरा तहसील राजगढ जिला अलवर

–प्रार्थीगण

बनाम

01– श्रीमति कमला देवी धर्मपत्नि बाबूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर **–असल अप्रार्थी**

02– भूमिधारी तहसीलदार, मालाखेडा तहसील परिसर मालाखेडा जिला अलवर

03– पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर जर्ये शाखा प्रबन्धक

04– अलवर भरतपुर ऑचलिक ग्रामीण बैंक हाल नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर जर्ये शाखा प्रबन्धक

–तकमीली अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

05– रामसिंह पुत्र प्रताप जाति अहीर

06– कैलाश पुत्र प्रताप जाति अहीर

07– श्रीमति लड्डो धर्मपत्नि स्व० प्रभू जाति अहीर

08– विश्राम पुत्र स्व० प्रभू जाति अहीर

09– कमलसिंह पुत्र स्व० प्रभू जाति अहीर

निवासीयान ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर

10– मीरा धर्मपत्नी बलराम यादव पुत्री स्व० प्रभू जाति अहीर निवासी नांगलढेर पाली तहसील मालाखेडा

11– शीला धर्मपत्नि मांगेलाल यादव पुत्री स्व० प्रभू जाति अहीर निवासी ग्राम रैवासा खोहरा तहसील बसवा जिला दौसा

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

–: निर्णय :– दिनांकः 29.07.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 1177 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 348 रकबा 1.00 है० व साबिक आराजी खसरा नम्बर 1178 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 3049 रकबा 0.19 है० 3050 रकबा 0.19 है० वाके ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है। साबिक खसरा नम्बर 1177 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा के खातेदार उमराव पुत्र रेवडा 1/2 हिस्सा जाति जाट, रामदेवा पुत्र काला 1/4 हिस्सा जाति जाट, प्रताप पुत्र रघुनाथ 1/4 हिस्सा जाति अहीर निवासीयान ग्राम पूनखर खातेदार थे। साबिक खसरा नम्बर 1177 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा उमराव पुत्र रेवडा ने अपने 1/2 हिस्से का व रामदेवा पुत्र काला ने अपने 1/4 हिस्से का विक्रय कर दिया। प्रताप पुत्र रघुनाथ के वारिसान तरतीबी संख्या 5 लगा० 11 है।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

हाल आराजी खसरा नम्बर 3048 रकबा 1.00 है० के 1/4 भाग पर वादी संख्या 1 ने दिनांक 30.07.2013 को खातेदारान रामहेत पुत्र चन्दर, सुब्रतलाल, जयकिशन पुत्रान लिक्ष्मण जाति मीणा निवास ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा केसरी पुत्र लिक्ष्मण निवासी ग्राम रतनपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर से जरिये विक्रय पत्र क्रय कर लिया। जिसका इंतकाल संख्या 1194 वादी संख्या 1 के हक में स्वीकार हो गया एवं जमाबन्दी 2069 से 2072 में अमल दरामद कर दिया गया। विक्रेतागण द्वारा वादी संख्या 1 को मौके पर कब्जा दे दिया गया। इस प्रकार वादी संख्या।उक्त आराजी के 1/4 भाग का काबिज खातेदार काश्तकार है तथा शेष 3/4 भाग के हिस्से अनुसार वादीगण संख्या 2 लगा० 7 तथा तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 लगा० 11 काबिज खातेदार काश्तकार है।

साबिक आराजी खसरा नम्बर 1178 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार काश्तकार प्रताप पुत्र रघुनाथ जाति अहीर निवासी पूनखर था। प्रताप पुत्र रघुनाथ ने अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी को गिर्राज पुत्र नानगराम जाति मीणा निवासी बावडी तहसील राजगढ को विक्रय कर दिया। गिर्राज पुत्र नानग राम मीणा ने श्रीमति कमला देवी पत्नि बाबूलाल को विक्रय कर दिया। बन्दोबस्त सम्वत 2051 में आराजी साबिक खसरा नम्बर 1177 के नये नम्बर 3048 1.00 है० कायम कर नक्शा बनाया गया तथा साबिक आराजी खसरा नम्बर 1178 जिसके हाल खसरा नम्बर 3049 रकबा 0.19 है० व 3050 रकबा 0.19 है० कायम किये गये। जिनको हाल नक्शा ट्रेस में गलत रूप से दर्शाया गया है। क्योकि साबिक खसरा नम्बर 1177 जिसके हाल खसरा नम्बर 2348 है तथा साबिक खसरा नम्बर 1178 जिसके हाल खसरा नम्बर 3049 व 3050 हैं। सम्वत 2051 में नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 3049 व 3050 दर्शाया गया है जो गलत रूप से दर्शाया गया है। नक्शा ट्रेस में अंकित खसरा नम्बर 3049 व 3050 खसरा नम्बर 348 का भाग है। जो सम्वत् 2051 में बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा गलत बना कर दर्शित किया गया है। हाल खसरा नम्बर 3049 व 3050 जिसके साबिक खसरा नम्बर 1178 थे का नक्शा ट्रेस में अन्य जगह पर था तथा वही पर असल प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त था। आराजी खसरा नम्बर 3048 का सम्पूर्ण हिस्सा खसरा नम्बर 3048, 3049 व 3050 में

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

मिलाकर पूर्ण होता है। जिसको बन्दोबस्त सम्वत 2051 में गलत नक्शा ट्रेस बनाकर खसरा नम्बर 3048 के पास बनाया गया है। हाल खसरा नम्बर 3049 3050 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 का है के पूर्व खातेदारान का आराजी पर दूसरी जगह कब्जा था तथा आज भी उसी जगह पर काबिज रह कर अप्रार्थी संख्या 1 काश्त कर रही है। जहां पर अप्रार्थी संख्या 1 से पूर्व उक्त आराजी के खातेदारान काबिज रहकर काश्त कर रहे थे। सम्वत 2051 जो स्थिति खसरा नम्बर 3049, 3050 की नक्शा ट्रेस में गलत अंकित की है। जो इन्द्राज गलत है। खिलाफ मौका है अप्रार्थी संख्या 5 लगा० 11 के हकूको के मुकाबले बातिल, बेअसर नाकाबिल पाबन्दी है। जिस कारण तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 लगा० 11 नक्शा हाल को दुरूस्त कराने के अधिकारी है। हाल खसरा नम्बर 3048 जिसके साबिक खसरा नम्बर 1177 जमाबन्दी में सही है परन्तु नक्शा ट्रेस में गलती की वजह से वादीगण तथा तरतीबी अप्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या 5 लगा० 11 के हाल खसरा नम्बर 3048 के साथ लगते हुए उसी में से 3049 व 3050 का नक्शा ट्रेस बनाया गया है जो खिलाफ मौका व कानून है। जो गलती भू प्रबन्ध विभाग ने की है वह दुरूस्त होने योाग्य है। भू प्रबन्ध विभाग को नक्शा ट्रेस में परिवर्तन करने का अधिकार नही है। प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से नक्शा दुरूस्त करने बाबत कहा तो वह टालबाल करता रहा। ओर अब दिनांक 27.07.2014 को अज खुद दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। दावे के निस्तारण में समय लगेगा। आराजी खसरा नम्बर 349 व 350 जो की हाल आराजी खसरा नम्बर 348 का भाग है के आधार पर प्रार्थीगण तथा तरतीबी अप्रार्थीगण 5 लगा० 11 की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 3048 पर कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत करता है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण तथा तरतीबी अप्रार्थीगण 5 लगा० 11 को यदि उनके कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 3048 से बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण तथा तरतीबी अप्रार्थीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। जिसकी पूर्ति द्रव्य में संभव नही हो सकेगी। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजगढ तथा अलवर भरतपुर अलवर ग्रामीण ऑचलिक बैंक से ऋण

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

लिया हुआ है। जिन्हे बतौर तकमीली अप्रार्थी संख्या 3 व 4 दर्ज किया हुआ है। जिनसे प्रार्थी कोई अनुतोष नही चाहते। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार मालाखेडा है। जिनके खिलाफ भी कोई अनुतोष नही चाहते। 80 सीपीसी नोटिस देने की कोई आवश्यकता नही है। अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जावे की वो प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की आराजी पर जबरन कब्जा ना करे, रहन, बय, हिबे द्वारा मुन्तकिल ना करे। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुल व नापूर्ति होने वाली क्षति आयद व साबित है अतः अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जावे कि नक्शा ट्रेस के आधार पर किसी भी प्रकार से रहन, बय द्वारा मुन्तकिल ना करे, जबरन बेदखल ना करे। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के कुल कार्य काश्तकारी में व्यवधान पैदा करने बाबत पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्राथर्नी की एक पक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 17.09.2014 को अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से आराजी खसरा नम्बर 3048 रकबा 1.00 है०, 3049 रकबा 0.19 है० एवं 3050 रकबा 0.19 है० वाके ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा में रहन, बय आदि से मुन्तकिन ना करने हेतु पाबन्द किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय में जर्ये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया। जवाब में अंकित किया है कि साबिक खसरा नम्बर 1178 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम पूनखर को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा उप पंजीयक मालाखेडा के यहां दिनांक 22.03.2007 को तसदीक व पंजीबद्ध कराया गया है एवं कब्जा संभलवाया गया। हाल खसरा नम्बर 3049 व 3050 नक्शा हाल में सही जगह पर दर्शित किये गये है। प्रार्थीगण के दिल ओर दिमाग में बदयान्ति आ गई है जो अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है। सैटलमेन्ट विभाग ने पूरे गांव

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

की नाप तोल कर नक्शा सही बनाया है। प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि पर इस वाद के आड में कब्जा करना चाहते है एवं बदनियति व बदयान्ति पूर्व स्थान परिवर्तन करना चाहते है। सैटलमेन्ट 2051 में हुआ था। जिसके कई वर्ष बीत चुके है। इतने पुराने नक्शे में प्रार्थीगण के स्वार्थ वश कोई परिवर्तन संभव नही है। प्रार्थीगण ने मई 2014 की घटना गलत दर्ज की है। अप्रार्थीगण अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज है एवं अप्रार्थी अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज है। दोनो ने ही हाल खसरा नम्बरान से आराजी खरीद की है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण की आराजी की भूमि खसरा नम्बर 3048 पर कब्जा करने की बात सरासर गलत दर्ज की है। नक्शा बिल्कुल सही है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी को हडप करना चाहते है। प्रार्थीगण की आराजी से मेरा कोई संबंध व सरोकार नही है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द कराकर आराजी हडप करना चाहते है। प्रार्थीगण ने अपनी आराजी किस बैक में रहन रखी है उससे अप्रार्थी संख्या 1 का कोई सरोकार नही है। प्रार्थियान को 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक था जो नही दिया गया है। 80 सीपीसी का नोटिस दिये बिना वाद चलने योग्य नही है। वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्राथीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश 01–प्रथम दृष्टया केस 02– सुविधा का सन्तुलन 03– अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर प्रार्थना पत्र में दर्ज विवरण को दोहराते हुए न्यायालय को निवेदन किया की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 17.09.2014 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) करने की प्रार्थना की।

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय से निवेदन किया की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3048, 3049 व 3050 वाके ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.09.2014 खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 17.09.2014 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद (Absolute) कर कन्फर्म (Confirm) किया जाना उचित समझते है।

अतः अप्रार्थीगण को आराजी खसरा नम्बर 3048 रकबा 1.00 है०, 3049 रकबा 0.19 है० व 3050 रकबा 0.19 है० वाके ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा को किसी प्रकार से रहन, बय आदि से मुन्तकिल ना करने हेतु दिनांक 17.09.2014 जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद (Absolute) कर कन्फर्म (Confirm) किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner